आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई मे टिप्पणी तारीख के साथ
1/2/2013	**सारण समाहरणालय, छपरा।** **न्यायालय जिला दंडाधिकारी, सारण, छपरा।** **जिला विधि प्रशाखा** **आपूर्त्ति अपील सं0 52/2012** **प्रभावती देवी बनाम राज्य एवं अन्य** **आदेश** यह अपील आवेदन अनुमंडल पदाधिकारी-सह-अनुज्ञापन पदाधिकारी, मढ़ौरा के आदेश ज्ञापांक 1913 दिनांक 14/6/2012 को चुनौती देने के लिए दायर किया गया। दिनांक 2/6/2012 को अनुमंडल स्तरीय जाँच दल द्वारा अपीलकर्त्ता के प्रतिष्ठान की जाँच की गयी। जाँच में दुकान खुली पायी गयी, किन्तु अपीलकर्त्ता अनुपस्थित पाए गए और दुकान से संबंधित अभिलेख जाँच पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किए गए। सूचनापट्ट और मूल्य तालिका प्रदर्शित नहीं पाए गए, माप-तौल का निबंधन/सत्यापन प्रमाण-पत्र भी नहीं पाया गया और यह भी आरोप लगाया गया है कि एक ही कूपन पर दो बार खाद्यान्न का वितरण किया गया है। उसके बाद अपीलकर्त्ता से कारणपृच्छा करते हुए प्रश्नगत आदेश पारित किया गया। अपना पक्ष रखते हुए अपीलकर्त्ता ने प्रश्नगत आदेश को विधि के प्रतिकूल और तथ्यों तथा साक्ष्यों के परीक्षण के बगैर पारित किया हुआ बताया। उनका कहना है कि उनके द्वारा स्पष्टीकरण में सभी तथ्यों को स्पष्ट करते हुए अकाट्य साक्ष्य दिए गए, किन्तु उसकी जाँच किए बिना प्रश्नगत आदेश पारित कर दिया गया, जो गैर-कानूनी है। प्रश्नगत आदेश का समर्थन करते हुए राज्य की तरफ से विज्ञ विशेष लोक अभियोजक ने कहा कि प्रश्नगत आदेश नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का पालन करते हुए पारित किया गया है और उसमें किसी प्रकार की वैधानिक त्रुटि या विसंगति नहीं है। दोनों पक्षों को सुना तथा मूल अभिलेख का अवलोकन किया। यह स्पष्ट है कि निरीक्षण तिथि को दुकान खुली थी और अपीलकर्त्ता द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति दुकान पर उपस्थित था। उन्होंने यह भी कहा कि मार्च 2012 के अंत्योदय बिक्री पंजी में क्रमांकः 4 और 5 पर अंकित उपलब्ध कूपन संख्या त्रुटिवश एक ही पाए गए और यह एक त्रुटि गैर जानबूझकर है। सिर्फ एक	

विसंगति से उनके विरुद्ध किसी प्रकार का आरोप प्रमाणित नहीं होता है। यह भी स्पष्ट है कि माप-तौल नियंत्रक के समक्ष सत्यापन हेतु उन्होंने ससमय आवेदन समर्पित किया था, किन्तु इसका प्रमाण-पत्र उन्हें निर्गत नहीं किया जा सका था। कैश मेमो नहीं देने के आरोप पर अपीलकर्त्ता द्वारा स्पष्टीकरण दिया गया है कि कैश मेमो मुद्रण हेतु प्रेस में दिए गए थे, जो उन्हें प्राप्त नहीं हो पाए थे। सूचनापट्ट और मूल्य तालिका के संबंध में स्पष्ट किया है कि इन्हें कुछ शरारती लोगों के द्वारा संभवतः मिटा दिया था।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि आंशिक रूप से अनियमितता के आरोप प्रमाणित हैं, किन्तु प्रश्नगत आदेश में इन तथ्यों का विवेचन नहीं किया गया है।

उपरोक्त परिस्थिति में प्रश्नगत आदेश को set aside करते हुए वाद अनुमंडल पदाधिकारी को रिमिट किया जाता है और उन्हें निदेश दिया जाता है कि वे एक माह के भीतर पुनः नए सिरे से विधि-सम्मत् आदेश पारित करें।

लेखापित एवं संशोधित

जिला दंडाधिकारी,
सारण, छपरा।

जिला दंडाधिकारी,
सारण, छपरा।

ज्ञापांक ______ / विधि, दिनांक ______

प्रतिलिपि- अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा को उनके पत्रांक 3477 दिनांक 18-10-2012 द्वारा अभिलेख संख्या-115/2012 संचिका संख्या-15-95/12 प्राप्त हुआ था जो मूल में आदेश की प्रति के साथ पर कृपयार्थ एवं उक्त आदेश का अनुपालन हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक- अभिलेख संख्या-115/12 एवं
संचिका संख्या-15-95/12
के साथ प्रभावती देवी

ह०/-
वरीय उपसमाहर्त्ता,
जिला विधि शाखा
सारण, छपरा।

ज्ञापांक 300 / विधि, दिनांक 9.9.2013

प्रतिलिपि- एन०आई०सी० पदाधिकारी, छपरा को कृपयार्थ एवं उक्त आदेश को जिला के वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

वरीय उपसमाहर्त्ता
जिला विधि शाखा
सारण, छपरा।
9/09/13